



प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

दांडिक अपील क्रमांक 26/2006

अपीलार्थी

- शंकर उर्फ टुनू, पिता सुकदेव, आयु लगभग 25 वर्ष, निवासी ग्राम कुम्हरास, कुकनार, थाना कुकनार, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना कुकनार, जिला दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)

दांडिक अपील क्रमांक 27/2006

अपीलार्थी

- संतु उर्फ मोटू, पिता सुकदेव, आयु 22 वर्ष, निवासी ग्राम कुम्हरास मरारपारा, कुकनार, थाना कुकनार, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना कुकनार, जिला दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)

दांडिक अपील क्रमांक 28/2006

अपीलार्थी

- सुकदेव उर्फ गोंगा, पिता सुदु, निवासी ग्राम कुम्हरास मरारपारा, कुकनार, थाना कुकनार, जिला दक्षिण बस्तर, दंतेवाड़ा (छत्तीसगढ़)

बनाम

प्रत्यर्थी

- छत्तीसगढ़ राज्य, द्वारा पुलिस थाना कुकनार, जिला दंतेवाड़ा (दक्षिण बस्तर), जिला बस्तर (छत्तीसगढ़)





**युगलपीठ: माननीय श्री एल.सी. भादू,
माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीशगण**

उपस्थिति:-

कु. शर्मिला सिंघई, अपीलार्थीगण की ओर से अधिवक्ता।

श्री अखिल मिश्रा, पैनल अधिवक्ता, राज्य की ओर से।

मौखिक निर्णय

(दिनांक 14.09.2007)

न्यायालय का निम्नलिखित निर्णय माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा सुनाया गया।

(1) अभियुक्त अपीलार्थी शंकर उर्फ टुनू द्वारा दायर दांडिक अपील क्रमांक 26/2006, संतु उर्फ मोटू द्वारा दायर दांडिक अपील क्रमांक 27/2006 तथा सुकदेव उर्फ गोंगा द्वारा दायर दांडिक अपील क्रमांक 28/2006 एक ही निर्णय से उद्भूत हुई हैं, जो सत्र प्रकरण क्रमांक 303/2005 में पारित किया गया था, अतः इनका निराकरण इस साझा निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

(2) ये अपीलें दिनांक 31 दिसंबर, 2005 को सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर (बस्तर) द्वारा सत्र प्रकरण क्रमांक 303/2005 में पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई हैं, जिसके द्वारा उक्त न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 एवं धारा 201 के अंतर्गत दंडनीय अपराध का दोषसिद्ध करते हुए उन्हें आजीवन कारावास तथा 3 वर्ष के सश्रम कारावास से दंडित किया, साथ ही यह भी निर्देशित किया कि भा.दं.सं. की धारा 201 के अंतर्गत दिया गया दंड आजीवन कारावास के दंड में समायोजित माना जाएगा।

(3) अभियोजन का प्रकरण यह है कि दिनांक 18.05.2005 को लगभग दोपहर 2:40 बजे, मृतक की माता सेतोबती ने थाना में मर्ग सूचना (प्र.पी.-16) दर्ज कराई कि दिनांक 16.05.2005 को मृतक फूलदास अपनी पत्नी के साथ बदहाई-टिकरापारा में एक विवाह समारोह में शामिल होने गया था। दिनांक 17.05.2005 को दोपहर में वह वापस आया

और भोजन करने के बाद यह कहकर पुनः विवाह स्थल चला गया कि वह अपनी पत्नी को लेने जा रहा है। वह रात में वापस नहीं लौटा। दिनांक 18.05.2005 को लगभग सुबह 8 बजे, दुर्बल बढई नामक व्यक्ति उसके घर आया और बताया कि मृतक फूलदास ने अपने ससुर के घर के पास महुआ के पेड़ से फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। उक्त सूचना प्राप्त होने पर वह घटनास्थल पर गई और अपने पुत्र का शव देखा। मर्ग सूचना में यह उल्लेख है कि सूचना देते समय उसके साथ मृतक की पत्नी फूलमती (अ.सा.-2), नवी सिंह एवं फूलचंद उपस्थित थे। सूचना प्राप्त होने के पश्चात् थाना प्रभारी घटनास्थल के लिए रवाना हुए, पंचों को सूचना (प्र.पी.-17) दी, मृतक के शव का मृत्युसमीक्षा (प्र.पी.-18) तैयार किया तथा शव को परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, टोंगपाल भेजा (प्र.पी.-19)। घटनास्थल से एक जोड़ी चप्पल, एक लाल शर्ट तथा एक लाल रंग की टोपी को जप्त किया गया (प्र.पी.-20)। स्थल मानचित्र (प्र.पी.-22) तैयार किया गया। शव परीक्षण डॉ. एल.एल. थांकर (अ.सा.-5) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपना प्रतिवेदन (प्र.पी.-7) तैयार की। शव परीक्षण प्रतिवेदन के अनुसार, मृतक की दोनों आँखें बंद थीं, चेहरा सूजा हुआ था, जीभ मुँह से बाहर निकली हुई थी, नाक से पानी मिश्रित रक्त (द्रव रक्त) निकल रहा था, शरीर से दुर्गंध आ रही थी क्योंकि विघटन प्रारंभ हो चुका था, पेट फूला हुआ था, दोनों हाथ गहरे रंग के सूखे रक्त से सने हुए थे, लिंग सूजा हुआ एवं रक्तसंचारित था तथा अग्रचर्म एवं ग्लान्स में लालिमा थी। जंघास्थि क्षेत्र लाल एवं सूजा हुआ था। गर्दन पर थायरॉयड कार्टिलेज के ऊपर, कंठ एवं ठुड़ी के बीच एक लिगेचर मार्क (फंदे का निशान) था। फंदे में एक ही गाँठ थी। गर्दन पर फंदे का निशान लगभग 1 इंच चौड़ा था।

उन्होंने शरीर पर निम्नलिखित चोटें पाई :

- (1) दाहिने अग्रबाहु पर 2" x 4" आकार का एक खरोंच पाया गया।
- (2) दाहिने अग्रबाहु पर 1½" आकार का एक अन्य खरोंच पाया गया।
- (3) दाहिनी जांघ पर 1½" x ½" आकार का एक खरोंच पाया गया।
- (4) बाएं घुटने पर 1" x 1" आकार का एक खरोंच पाया गया।
- (5) दाहिने घुटने पर 1½" x ½" आकार का एक अन्य खरोंच पाया गया।
- (6) अंडकोष के अग्र भाग पर 2½" x 2½" आकार का एक नीलांगू पाया गया। चोट के बाहरी हिस्से अर्थात् आसपास का क्षेत्र रक्तसंचारित एवं काले रंग का था।

(7) जननांग क्षेत्र के दाहिने भाग में, लिंग के मूल के ऊपर 2½" x 2½" आकार का एक नीलांगू पाया गया।

(8) लिंग के निचले भाग पर 1" x 1" आकार का एक अन्य नीलांगू पाया गया।

सभी चोटें मृत्युपूर्व प्रकृति की थीं। चोट क्रमांक 1 से 5 सश्रम एवं खुरदुरी वस्तु से उत्पन्न हुई थीं, जबकि चोट क्रमांक 6 से 8 कुंद (भारी/भोथरे) आघात से लगी थीं। उनके अनुसार, सभी चोटें शव परीक्षण के समय से लगभग 35 से 37 घंटे के भीतर लगी थीं। उनके मतानुसार, मृत्यु का कारण अंडकोष पर लात मारने से उत्पन्न आघातजन्य सदमा था। शव परीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात, मर्ग सूचना के आधार पर थाना प्रभारी द्वारा प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्र.पी.-9) दर्ज की गई।

(4) विवेचना पूर्ण होने के पश्चात अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, जगदलपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने प्रकरण को सत्र न्यायाधीश, जगदलपुर के न्यायालय को विचारण हेतु अभिसंपादित किया, जहाँ विचारण किया गया। माननीय सत्र न्यायाधीश ने विचारण पूर्ण होने के बाद अपीलार्थियों को उपर्युक्तानुसार दोषसिद्ध कर दंडित किया। अपीलार्थियों की दोषसिद्धि मुख्यतः अभियोजन साक्षी अ.सा.-2 फूलमती, जो मृतक की पत्नी है, के एकमात्र साक्ष्य पर आधारित है।

(5) अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि फूलमती (अ.सा.-2) मृतक की पत्नी होने के कारण पक्षद्रोही साक्षी है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि इसके अतिरिक्त, अन्यथा भी उसका साक्ष्य विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि उसके बयान तथा उसके आचरण में अनेक तात्त्विक विरोधाभास हैं।

(6) इसके विपरीत, राज्य की ओर से अधिवक्ता ने इन तर्कों का विरोध किया और विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश का समर्थन किया।

(7) हमने पक्षकारों के अधिवक्ताओं को विस्तार से सुना तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का भी अवलोकन किया।

(8) निर्विवाद रूप से, माननीय विचारण न्यायालय ने अ.सा.-2 फूलमती (मृतक की पत्नी) के एकमात्र साक्ष्य पर भरोसा किया है। उसने अपने कथन में कहा है कि उसके पति फूलदास की हत्या धुनू मोटू एवं गोंगा (सभी अपीलार्थी) द्वारा की गई। उसने बताया कि वह अपने पति के साथ अपने मायके गई थी और जब वे वहाँ से लौट रहे थे, तो रास्ते में कुछ समय के लिए धुनू

के घर रुके, जहाँ उसके पति ने धुनू से साल्फी (एक प्रकार का मादक रस, जो पेड़ से निकाला जाता है) मांगी। इस पर धुनू ने उसे गाली-गलौज करना शुरू कर दिया और उसके बाद उसने उसके पति का गला दबाया तथा उसके अंडकोष पर लात मारी, जिससे उसका पति जमीन पर गिर गया। उसने आगे कहा कि उसके पति को शंकर उर्फ धुनू, संतु उर्फ मोदू एवं सुकदेव उर्फ गोंगा ने मिलकर पीटा और तीनों ने उस पर हमला किया। उसने यह भी कहा कि मारपीट होते देखकर वह घटनास्थल से भाग गई। अपने मुख्य परीक्षण के कंडिका 2 में उसने कहा कि वह एक बरगद के पेड़ के पीछे छिप गई और उसने देखा कि सभी अभियुक्त उसके पति के शव को उसके पिता के खेत में ले गए और गमछे की सहायता से उसे पेड़ से लटका दिया। उसने आगे कहा कि डर के कारण उसने यह घटना किसी को नहीं बताई और अपने घर लौट आई। अपने कथन के कंडिका 3 में उसने कहा कि घटना के दो दिन बाद वह थाना गई और वहाँ पूरी घटना बताई। उसने यह भी कहा कि कोटवार बालसिंह, मित्तु, चैदू एवं अन्य लोग भी थाना गए थे और पुलिस ने कुछ कागजात तैयार किए, जिन पर उसके हस्ताक्षर लिए गए। प्रतिपरीक्षण के कंडिका 5 में उसने स्वीकार किया कि अभियुक्तों के घर के पास कई मकान स्थित हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि जब अभियुक्त उसके पति को मार रहे थे, तब उसने कोई शोर नहीं मचाया। उसने यह भी माना कि जब वह भागकर बरगद के पेड़ की ओर गई और उसने देखा कि अभियुक्त उसके पति को ले जा रहे हैं, तब भी उसने शोर नहीं मचाया। उसने यह भी स्वीकार किया कि जिस नदी के पास पेड़ स्थित है, वह घटनास्थल से लगभग 3 फरलांग की दूरी पर है। जिरह के कंडिका 6 में उसने यह भी स्वीकार किया कि अगले दिन उसकी सास सैतो बाई थाना में शिकायत दर्ज कराने गई थी, परंतु उसने उसे घटना की जानकारी नहीं दी। इसके अतिरिक्त, उसने स्पष्ट रूप से कहा कि वह स्वयं थाना गई थी और उसने वहाँ घटना बताई। इस सुझाव पर कि उसने घटना के 5 दिन बाद जानकारी दी, उसने इसे अस्वीकार किया और कहा कि उसने घटना के दो दिन बाद ही जानकारी दी थी।

(9) अपीलार्थियों के अधिवक्ता ने जोरदार तर्क दिया कि मर्ग सूचना (प्र.पी.-16) के साक्ष्य से स्पष्ट होता है कि उसके कॉलम 9, जो विवरण दर्ज करने हेतु है, में यह उल्लेख है कि मर्ग सूचना देने वाली के साथ फूलमती (अ.सा.-2), नवी सिंह तथा गांव के कोटवार फूलचंद उपस्थित थे। यह सूचना दिनांक 18.05.2005 को दर्ज की गई थी। अतः उनका तर्क है कि यदि अ.सा.-2 वास्तव में इस घटना की चक्षुदर्शी होती, तो वह प्रथम अवसर पर ही पुलिस को घटना की जानकारी देती

अथवा कम से कम अपनी सास को यह बात बताती, ताकि उसकी सास मर्ग सूचना में इन सभी तथ्यों का उल्लेख करती।

(10) हमने अपीलार्थियों के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत इन तर्कों पर सावधानीपूर्वक विचार किया है। वास्तव में, विवरण वाले कॉलम में यह उल्लेख है कि फूलमती भी अपनी सास के साथ थाना गई थी, जब उसने मर्ग सूचना (प्र.पी.-16) दर्ज कराई। यदि वह वहाँ उपस्थित थी और अपनी सास के साथ थाना गई थी, तो इस साक्षी का स्वाभाविक आचरण यह होता कि या तो वह पुलिस को घटना के बारे में बताती या अपनी सास को बताती, ताकि उसी अनुसार थाना में शिकायत दर्ज की जाती। मर्ग सूचना दर्ज करते समय, जो इस साक्षी के लिए प्रथम अवसर था, कोई खुलासा न करना उसकी विश्वसनीयता पर संदेह उत्पन्न करता है। केवल इतना ही नहीं, यदि हम दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 175 के अंतर्गत जारी नोटिस (प्र.पी.-17) को देखें, जिसमें विवेचना अधिकारी ने मृतक के परिवारजनों के नाम लिखे हैं और उनके हस्ताक्षर लिए हैं, तो उसमें मृतक की पत्नी अर्थात् फूलमती (अ.सा.-2) का नाम भी क्रमांक 3 पर अंकित है तथा उसके अंगूठे का निशान भी है। इससे स्पष्ट होता है कि वह दिनांक 18.05.2005 को नोटिस (प्र.पी.-17) जारी किए जाने के समय उपस्थित थी। यह फूलमती (अ.सा.-2) के लिए दूसरा अवसर था कि वह पुलिस अधिकारी को घटना के बारे में बताती, परंतु उस समय भी उसने कोई प्रकटीकरण नहीं किया। इसके अतिरिक्त, यदि दिनांक 18.05.2005 को तैयार किए गए पंचनामा (प्र.पी.-18) की सामग्री देखें, तो उसमें भी अ.सा.-2 की उपस्थिति दर्ज है। पंचनामा के अंतिम कॉलम में यह उल्लेख है कि पहचान आदि की औपचारिकताएँ पूर्ण करने के पश्चात्, विवेचना अधिकारी ने अपनी राय तथा पंचों एवं अन्य उपस्थित व्यक्तियों की राय के आधार पर कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं निकाला और आगे की जांच हेतु शव को शव परीक्षण के लिए भेजने का निर्णय लिया। यह भी अ.सा.-2 के लिए एक और अवसर था कि वह घटना के बारे में बताती, किंतु इस समय भी उसने पंचनामा की कार्यवाही के दौरान पुलिस अधिकारी को घटना की जानकारी नहीं दी।

(11) उपर्युक्त के अतिरिक्त, यदि हम विवेचना अधिकारी ए.एस.आई. शिवराम दुबे (अ.सा.-7) के साक्ष्य को देखें, तो उनके बयान के कंडिका 5 से स्पष्ट होता है कि उन्होंने दिनांक 22.05.2005 को धारा 161 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत फूलमती का कथन दर्ज किया और उसी दिन उसने पहली बार यह बताया कि उसने दिनांक 18.05.2005 को घटना देखी थी, जिसमें उसके पति पर तीनों अपीलार्थियों द्वारा हमला किया गया था। इस विलंबित खुलासे से दो बातें स्पष्ट होती हैं—

प्रथम, उसने लगभग 5 दिनों तक इस तथ्य का खुलासा नहीं किया, और द्वितीय, उसने यह गलत बयान दिया कि घटना के दूसरे/तीसरे दिन वह थाना गई थी और उसने पुलिस को सभी तथ्य बता दिए थे तथा उस समय उसके साथ कोटवार बालसिंह, मीतू और चैदू आदि भी थे। यदि उसने वास्तव में घटना के दो दिन बाद ही यह सब बताया होता, जैसा कि उसने अपने अभिकथन में कहा है, तो पुलिस अधिकारी द्वारा उसका कथन दर्ज न करने और उसी आधार पर जांच आगे न बढ़ाने का कोई कारण नहीं होता। इसके अतिरिक्त, विवेचना अधिकारी ने भी यह नहीं कहा कि घटना के दो दिन बाद इस साक्षी (अ.सा.-2) ने थाना में घटना के संबंध में कोई खुलासा किया था। स्वीकार्य रूप से, यह साक्षी मृतक की पत्नी है, अतः उसके साक्ष्य का परीक्षण अत्यंत सावधानी और सतर्कता के साथ किया जाना आवश्यक है। यदि हम उसके समस्त साक्ष्य का अवलोकन करें और उसे अभिलेख पर उपलब्ध अन्य साक्ष्यों के प्रकाश में परखें, तो यह प्रतीत होता है कि उसके कथन में अनेक विरोधाभास हैं और पूर्ववर्ती अनुच्छेदों में दिए गए कारणों के आधार पर, केवल उसके एकमात्र साक्ष्य के आधार पर अपीलार्थियों की दोषसिद्धि कायम रखना सुरक्षित नहीं है।

(12) हमारे विचार से, विचारण न्यायालय ने अपीलार्थियों को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 एवं धारा 201 के अंतर्गत दोषसिद्ध करते समय इस साक्षी के एकमात्र साक्ष्य पर भरोसा करके विधिक त्रुटि की है।

(13) उपर्युक्त कारणों से, विचारण न्यायालय द्वारा पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाने योग्य हैं तथा अपीलें स्वीकार किए जाने योग्य हैं। अतः अपीलें स्वीकार की जाती हैं। अपीलार्थियों के विरुद्ध अधिरोपित दोषसिद्धि एवं दंडादेश अपास्त किए जाते हैं। अपीलार्थियों को उनके विरुद्ध लगाए गए आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है। बताया गया है कि अपीलार्थी जेल में निरुद्ध हैं, अतः यदि वे किसी अन्य प्रकरण में वांछित न हों, तो उन्हें तत्काल रिहा किया जाए।

सही/-

(एल.सी. भादू)

न्यायाधीश

सही/-

(सुनील कुमार सिन्हा)

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

